

प्रेषक

शंकर लाल
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट)
अमरोहा।

सेवा में

श्रीमान महानिबन्धक
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा

जिला न्यायाधीश
अमरोहा।

विषय

पासपोर्ट बनवाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के
सम्बन्ध में।

महोदय

ससम्मान निवेदन है कि मेरे द्वारा पूर्व में पासपोर्ट बनवाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय को अपना प्रतिवेदन प्रेषित किया था।

ई-सर्विस एप्लिकेशन आई.डी. संख्या 448 के द्वारा मुझे आदेशित किया गया है कि मैं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा जारी परिपत्र संख्या-16044/आई.वी.एफ.-101/एडमिन (ए) दिनांकित 24.11.2015 का अनुपालन करते हुए अण्डरटेकिंग, नोटरी शपथपत्र एवं चार फोटोग्राफ्स, जिनमें से एक जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा सत्यापित किया गया हो, ऑनलाईन प्रेषित करू तथा हार्ड कॉपी भी प्रेषित करू। इस सम्बन्ध में सादर निवेदन है कि मैं नोटरी द्वारा सत्यापित शपथपत्र, अपने चार फोटोग्राफ्स, जिनमें से एक जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा सत्यापित किया गया है एवं अण्डरटेकिंग माननीय न्यायालय की सेवा में सादर प्रेषित कर रहा हूँ। साथ ही मेरे द्वारा मेरे पर आश्रित व्यक्तियों का विवरण भी इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

अतः सादर निवेदन है कि मुझे पासपोर्ट बनवाने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की कृपा करें।

सादर।

भवदीय



(शंकर लाल)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट)
अमरोहा।

I.D. - UP 5706

संलग्नक-

1. नोटरी द्वारा सत्यापित शपथपत्र
2. स्वयं के चार फोटोग्राफ्स, जिनमें से एक फोटोग्राफ सत्यापित है।
3. अण्डरटेकिंग
4. आश्रित व्यक्तियों का विवरण

कार्यालय, जनपद न्यायाधीश, अमरोहा।

पत्रांक 360 /2020/प्रशा./अमरोहा दिनांकित: 03-03-2020

अग्रसारित

जिला न्यायाधीश,

अमरोहा DISTRICT JUDGE
03/03/2020 AMROHA

I, Shanker Lal, Addl. District & Sessions Judge/Special Judge (POCSO Act), Amroha declared as under-

- (a) That the applicant is a citizen of India.
- (b) That the applicant may not, or is not likely to, engage outside India in activities prejudicial to the sovereignty and integrity of India.
- (c) That the departure of the applicant from India may not, or is not likely to, be detrimental to the security of India.
- (d) That the presence of the applicant outside India may not, or is not likely to, prejudice the friendly relations of India with any foreign country.
- (e) That the applicant has, at any time during the period of five years immediately preceding the date of his application, not being convicted by a court in India for any offence involving moral turpitude and sentenced in respect thereof to imprisonment for not less than two years.
- (f) That proceedings in respect of any offence alleged to have not been committed by the applicant are pending before a criminal court in India.
- (g) That a warrant or summons for the appearance, or a warrant for the arrest, of the applicant has not been issued by a court under any law for the time being in force or that an order prohibiting the departure from India of the applicant has not been made by any such court,
- (h) That the applicant has not been repatriated.
- (i) That there is any possibility of arising embarrassing position before Government of U.P. due to my visit to any foreign country.
- (j) That issue of 'Identity Certificate' for obtaining a passport was never refused to me.
- (k) That I have neither visited nor applied any foreign country earlier.


(Shanker Lal)

Addl. District & Sessions Judge/
Special Judge (POCSO Act), Amroha

आवेदक पर आश्रित व्यक्तियों का विवरण

आवेदक

शंकर लाल पुत्र श्री सुल्तान सिंह
जन्मतिथि- 01.10.1961

आश्रित

1. श्रीमती कमलेश उर्फ कपूरी देवी पत्नि श्री शंकर लाल
जन्मतिथि- 08.03.1965
2. अंजलि पुत्री श्री शंकर लाल
जन्मतिथि- 25.01.1998

भवदीय

(शंकर लाल)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश /
विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट)
अमरोहा ।